

## फर्द अहकॉम


(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा मुकाम सेड़वा

नवाब बनाम अणदाराम वगैरा

किस्म मुकदमा-राजस्व वाद

मुकदमा नम्बर-73/2025

तारीख हुक्म	हुक्मकारवाई मय इनिशियलजज	नम्बर व तारीख अहकॉम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.05.2025	<p style="text-align: center;"><del>दादा भाई</del></p> <p>वादी के अधिवक्ता श्री <del>बनारसजी</del> ने यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिए सम्मन/नोटिस तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 20.06.2025 को पेश हो।</p>	
12/06/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील एवं वादी स्वयं उप। वादी वकील ने अर्चना पत्र वास्ते पत्रावली पेशी पर लेने बाबत पेश कर निवेदन किया कि पत्रावली आज पेशी तारीख पर ली जावे। वकील वादी के अर्चना पत्र पर पत्रावली आज पेशी तारीख पर ली गई। वकील वादी ने वाद वास्ते विडो करेने बाबत अर्चना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त अनवान ठे पुरान में हमारे गांव ठे भोजिज लोगो ने आपसी समझावस करके शजीनामा उरना दिया है उसलिये हम उक्त पुरान को आगे चलाना नहीं चाहते हैं उक्त वाद को जरिये शजीनामा विडो करमाया जावे।</p> <p>अतः आग्रहित से वादी वकील द्वारा उल्लूत अर्चना पत्र को स्वीकार किया जाकर उक्त अनवान ठे पुरान को जरिये शजीनामा विडो किया जा रहा है। पत्रावली फ़ैसल कुमार होत्रर दारिखत स्फ़तर हो। खेय्या ले उम हो।</p>	<p style="text-align: center;">श्री. न. चव्हा</p>  <p style="text-align: center;">पहुन्यान कर्ना</p> <p style="text-align: center;">श्री. अणदाराम</p> <p style="text-align: center;">12/6/25</p>

